कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.)

E-mail – dean-gmcshahdol@mp.gov.in,
Website - WWW.GMCSHAHDOL.ORG,

Office No. :- 07652-243000
Fax No.:- 07652 – 243222

क्रमांक/5436/स्था./एम.सी./2022 शहडोल, दिनांक 19/7/2022

नोटिस

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल में वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से सीमित पदावधि (Tenure) हेतु सीनियर रेसीडेंट के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्तियों की स्थिति निम्नानुसार है :-

दिनांक :- 18.07.2022 की स्थिति में

-: महत्वपूर्ण समय सारणी :-
आवेदन पत्र जमा करने हेतु:- सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार सायं 05:00 बजे तक
साक्षात्कार का समय :- सप्ताह के प्रत्येक गुरूवार, अपरान्ह 12:00 बजे से

सीनियर रेसीडेंन्ट (मासिक स्टायपेंड - रू. 76,000/- प्रतिमाह)

S.No.	Subject	UR	EWS	ST	SC	OBC
1	जनरल मेडिसिन	00	00	01	00	01
2	टी.बी. एण्ड चेस्ट	01	00	00	00	00
3	रेडियोडायग्नोसिस	01	00	00	00	01
	Total Post	02	00	01	00	02

आवेदन पत्र जमा करने की प्रक्रिया :- आवेदन पत्र प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार के सायं 05:00 बजे तक कार्यालय अधिष्ठाता, बिरसा मुण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल में जमा होंगे। अवकाश की स्थिति में आवेदन बुधवार सायं 05:00 बजे तक जमा किये जा सकेगे। आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जमा किये जा सकते हैं। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा एवं किसी भी अवस्था में आवेदन शुल्क लौटाई नहीं जायेगी।

आवेदन शुल्क :- सीनियर रेसीडेंट के पद हेतु अनारक्षित संवर्ग के अभ्यार्थियों को अपने आवेदन के साथ रू. 700/- (सात सौ रूपये) एवं आरक्षित संवर्ग के अभ्यार्थियों को रूपये – 500/- (पांच सौ रूपये) राशि का डिमान्ड ड्राफ्ट " **NEW GOVT. MEDICAL COLLEGE SHAHDOL AUTONOMOUS SOCIETY** के नाम **देय हो** प्रस्तुत करना होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे अभ्यार्थी को अपना पूरा नाम, पता व विषय तथा फोन नम्बर यदि कोई हो तो लिखना आवश्यक होगा। किसी भी अवस्था में राशि वापस नहीं की जावेगी।

साक्षात्कार सप्ताह के प्रत्येक गुरूवार को अपरान्ह – 12:00 बजे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, बिरसा मुण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल के सभागर कक्ष में निर्धारित रहेगा। अवकाश की स्थिति में साक्षात्कार अगले सप्ताह आयोजित किया जावेगा।

Scanned with CamScanner

नियम एवं निर्देश :- म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, म.प्र. भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 2-42/07/1/पचपन, भोपाल, दिनांक 17.12.2022 द्वारा जारी सीनियर रेसीडेंट एवं जूनियर रेसीडेंट की चयन प्रक्रिया एवं पात्रता निम्नानुसार होगी :-

(1) सीनियर रेसीडेंटस :-

पात्रता:-

I. सीनियर रेसीडेन्ट के पद हेतु आवेदन जमा करने की तिथि के पांच (05) वर्ष के अन्दर एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी./डिप्लोमा/एम.डी.एस. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले चिकित्सक पात्र होंगे।
II. चिकित्सक की उम्र 45 से कम होनी चाहिए।
III. एन.एम.सी. समय समय पर जारी अर्हताए स्वतः लागू होगी।

अपात्रता:-

(i) एम.डी./ एम.एस/ एम.डी.एस पाठ्यक्रम के अध्ययनरत अवधि अधिष्ठाता/प्राचार्य,चिकित्सा/दन्त चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लघंन कर चिकित्सकीय कार्य ना किया जाना अथवा महाविद्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना ।
(ii) विधि द्वारा स्थापित नियमों के विरूद्व किसी अवधि के लिए चिकित्सकीय कार्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना।
(iii) पाठ्यक्रम अवधि मे छात्र-छात्राओं के विरूद्व अपराधिक प्रकरण संस्थित होना।
(iv) पाठ्यक्रम अवधि मे पदीय कर्तव्यों मे लापरवाही , अशिष्ठता, अशोभनीय व्यवहार अथवा अनुशासनहीनता पाये जाने पर।
(v) बिन्दु (I) से (IV) मे दर्शित कारणों से चिकित्सकीय कार्य से अनुपस्थित रहने की स्थिति में,ऐसे छात्र/छात्रए चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित किसी संस्था मे सेवा के लिए पात्र नही माने जाऐंगे।

चयन विधि :-

(i) अधिष्ठाता की अध्यक्षता में चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से चिकित्सकों का चयन किया जायेगा।
(ii) चयन हेतु प्रथमत: प्रदेश के अन्य स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जायेगी। तत्पश्चात निजी चिकित्सा महाविद्यालय/अन्य प्रदेश के शासकीय/निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के उम्मीदवारों पर विचार किया जायेगा।
(iii) चिकित्सक द्वारा जिस विषय में एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी./डिप्लोमा/एम.डी.एस. किया है, उसी विषय के लिए पात्रता होगी।
(iv) चयन का क्रम क्रमश: डिग्रीधारी डी.एन.बी. डिप्लोमा होगा।
(v) विभिन्न विषयों में उत्तीर्ण एम.डी.एस. उम्मीदवारों का चयन पी.जी. (एम.डी.एस.) परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर तैयार की गई मैरिट के अनुसार होगा।
(vi) चयनित सीनियर रेसीडेंट को निजी प्रैक्टिस की पात्रता नहीं होगी।

टेन्युअर (Tenure) :-

(i) सीनियर रेसीडेन्ट की टेन्युअर (Tenure) अवधि 03 वर्ष की होगी। प्रथमतः 01 वर्ष हेतु नियुक्ति की जावेगी।
(ii) 01 वर्ष की टेन्युअर अवधि पूर्ण होने पर विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित का कार्य संतोषप्रद होने संबंधी की गई अनुशंसा के आधार पर आगामी 01 वर्ष के लिए बढ़ाया जायेगा।
(iii) विभाग में पदस्थ सीनियर रेसीडेंट के संबंध में संबंधित विभागाध्यक्ष की प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त होने पर अधिष्ठाता को संबंधित विभागाध्यक्ष, सम्बद्व चिकित्सालय के अधीक्षक तथा 02 वरिष्ठतम प्राध्यापक की गठित समिति के परामर्श से, ऐसे सीनियर रेसीडेंट की नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के अधिकार प्रदत्त होगा। इस प्रकार से सेवा से पृथक किये गए चिकित्सक को इस पद हेतु पुन: आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।

Scanned with CamScanner

(iv) विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित चिकित्सक के अनाधिकृत रूप से अवकाश पर रहने अथवा कार्य संतोषप्रद न होने संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर उसकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के अधिकार अधिष्ठाता को प्रदत्त होंगे।

आरक्षण :-

(i) राज्य शासन द्वारा अद्यतन निर्धारित आरक्षण व्यवस्था लागू होगी।

(ii) निर्धारित आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी की रिक्त सीटों के विरूद्व प्रथमत: संबंधित श्रेणी के प्रदर्शकों/ट्यूटरों/चिकित्सा अधिकारियों का चयन किया जायेगा। तदोपरांत सीनियर रेसीडेंसी हेतु अन्य चिकित्सकों का चयन होगा।

(iii) आरक्षित वर्ग के रिक्तियों के विरूद्व चिकित्सक उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य श्रेणी के क्रम से उपलब्ध चिकित्सकों से भरी जा सकेगी।

अवकाश :-

सीनियर रेसीडेंट को प्रति सप्ताह 01 दिवस के अवकाश की पात्रता होगी तथा प्रतिवर्ष 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी, सप्ताहिक अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा। अवकाश के समस्त प्रकरणों पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।

(2) प्रदर्शकों/ट्यूटरों/चिकित्सा अधिकारियों का सीनियर रेसीडेंट में चयन :-

(i) सीनियर रेसीडेंट के पर हेतु आवेदन जमा करने की तिथि के पांच (05) वर्ष के अन्दर एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी./डिप्लोमा/एम.डी.एस. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले चिकित्सक पात्र होंगे।

(ii) एन.एम.सी. द्वारा समय-समय पर जारी अर्हतायें स्वत: लागू रहेंगी।

(iii) जिस प्रदर्शक/ट्यूटर/चिकित्सा अधिकारी ने जिस विषय में एम.डी./एम.एस./एम.डी.एस. किया है, उसकी सिर्फ उसी विषय के लिए सीनियर रेसीडेंसी की पात्रता रहेगी।

चयन विधि :-

(i) ऐसे प्रदर्शकों/ट्यूटरों/चिकित्सा अधिकारियों ने एम.डी./एम.एस./एम.डी.एस. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है उन्हें सीनियर रेसीडेंट के पद के लिए सर्वप्रथम प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

(ii) साक्षात्कार के समय जिन प्रदर्शकों/ट्यूटरों/चिकित्सा अधिकारियों ने उसी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से एम.डी./एम.एस./एम.डी.एस. किया है उन्हें प्राथमिकता दी जावेगी उसके बाद मध्यप्रदेश के किसी अन्य शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जायेगी। तदोपरांत रिक्तियां रहने पर निजी चिकित्सा महाविद्यालयके उम्मीदवारों पर विचार किया जायेगा।

आरक्षण :-

(i) राज्य शासन द्वारा अद्यतन निर्धारित आरक्षण व्यवस्था लागू होगी।

(ii) निर्धारित आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी की रिक्त सीटों के विरूद्व प्रथमत: संबंधित श्रेणी के प्रदर्शकों/ट्यूटरों/चिकित्सा अधिकारियों का चयन किया जायेगा।

वेतन भत्ते :-

(i) प्रदर्शक/ट्यूटर/चिकित्सा अधिकारी को अपने पद से संबंधित वेतन भत्तों की पात्रता होगी।

अवकाश :-

इनकों सीनियर रेसीडेंट के पद पर रहते हुए 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी, तथा सप्ताह में 01 दिवस अवकाश की पात्रता होगी। सीनियर रेसीडेंट के पद पर रहते हुए मूल पद से जुड़े किसी अन्य प्रकार के अवकाश की पात्रता नहीं होगी।

Scanned with CamScanner

टीप :-

(i) जिन प्रदर्शकों/ट्यूटरों/चिकित्सा अधिकारियों को सीनियर रेसीडेंट के पद पर पदस्थ किया गया है, ऐसे प्रदर्शक/ट्यूटर/चिकित्सा अधिकारी का अपने मूल पद के विरूद्व धारणाधिकार स्थापित रहेगा, जिस कारण चिकित्सा महाविद्यालय उक्त पद के विरूद्व किसी अन्य चिकित्सक को नियुक्त नहीं करेगा।

यात्रा भत्ता :-

साक्षात्कार के लिए किसी भी अभ्यार्थी को यात्रा भत्त इस संस्था द्वारा नहीं दिया जावेगा उन्हें स्वयं के व्यय पर यात्रा करना होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)

Scanned with CamScanner